न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,प्रयागराज

प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या– 805 सन्– 2026

UPAD010069312026

सुनीता देवी सोनकर पत्नी राजेश सोनकर, निवासिनी ग्राम मैलहा, थाना बहरिया, जनपद प्रयागराज।

––––––––प्रार्थिनी

बनाम

1. हसन पुत्र चन्दू उम्र लगभग 23 वर्ष
2. आमिर पुत्र सेबू उम्र लगभग 19 वर्ष
3. इन्नू पुत्र इश्तियाक अहमद उम्र लगभग 36 वर्ष

निवासीगण– ग्राम फाजिलाबाद उर्फ कालूपुर, थाना बहरिया, जनपद प्रयागराज।

––––––––विपक्षीगण

अन्तर्गत धारा– 173(4) बी.एन.एस.एस.
थाना– बहरिया, जनपद–प्रयागराज।

1. प्रार्थिनी सुनीता देवी सोनकर द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. विपक्षीगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिनी का पुत्र शनि दिनांक 13.06.2026 को समय लगभग 04.00 बजे बकरी चरा रहा था और मोबाइल लिये हुए थे जिसमें फोन आने पर रिंग टोन भगवान राम का बजने लगा, वहां पर क्रिकेट खेल रहे विपक्षीगण हसन, आमिर व इन्नू रिंगटोन की आवाज सुनकर उसके पुत्र को मारने–पीटने लगे और गला दबा दिया जिससे वह बेहोश होकर गिर गया। विपक्षी हसन ने उसके पुत्र को लात–घूसों व बैट से मारा–पीटा और विपक्षी आमिर ने कहा कि खटिक साले को जान से मारकर फेंक दो, विपक्षी इन्नू ने लात–घूसों से मारा। गाँव वालों को आता देखकर विपक्षीगण चले गये और कहे कि खटिक साले को जान से मार दूंगा। प्रार्थिनी का पुत्र किसी ढंग से घर आया उसके बाद विपक्षीगण तीन मोटरसाइकिल से 8 लोगों को लेकर घर पर आये और माँ–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देने लगे। प्रार्थिनी डर के मारे घर से भाग गयी, सभी लोग घर में घुसकर मार–पीट करने लगे, विपक्षी आमिर ने उसके साथ छेड़खानी किया और विपक्षीगण हसन व इन्नू ने पटक दिया, आमिर ने ब्लाउज फाड़कर छेड़खानी किया, किसी तरह वह शोर मचाने लगी तो गाँव के लोग इकट्ठा होने लगे तब विपक्षीगण ने कहा कि खटकिन साली ज्यादा राम भक्त बनती हो तुम्हारी इज्जत लूटकर सड़क पर कर देंगे और जाते वक्त विपक्षीगण ने धमकी दिया कि तुम्हें व तुम्हारे बच्चे को जान से मार कर फेंक दूंगा। प्रार्थिनी ने उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना बहरिया में प्रार्थनापत्र दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी न ही उसका व उसके पुत्र का डॉक्टरी मुआयना ही कराया गया। प्रार्थिनी ने दिनांक 19.06.2026 को जरिये रजिस्ट्री पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट, प्रयागराज को प्रार्थनापत्र दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। उपरोक्त कथनों को संकथित करते हुए वर्तमान प्रकरण के सम्बन्ध में थाना बहरिया, जनपद प्रयागराज में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने हेतु आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

3. प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र, स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति, स्वयं के जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, थानाध्यक्ष बहरिया को दिये गये प्रार्थनापत्र छायाप्रति, श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट, प्रयागराज को दिये गये प्रार्थनापत्र दिनांकित 19.06.2026 मय मूल डाक रसीद को संस्थित किया गया है।

4. प्रार्थिनी के प्रार्थनापत्र पर सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी तथा थाने की

आख्यानुसार प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में थाना हाजा के अभिलेखों में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5. मैंने प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में विपक्षीगण द्वारा उसके पुत्र के मोबाइल में भगवान राम की रिंगटोन बजने को लेकर उसके पुत्र को लात–घूसों व बैट से मारने–पीटने, गला दबाने तथा उसके घर आने पर विपक्षीगण द्वारा माँ–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां दिये जाने, विपक्षीगण द्वारा प्रार्थिनी के साथ छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप अभिकथित किया गया है। प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थिनी को घटना का दिनांक, समय, स्थान, साक्षीगण के नाम, घटना हेतुक तथा सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी है जिसके सम्बन्ध में वह स्वयं साक्ष्य देने में समर्थ है, अतः अन्वेषण की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *जोसेफ माधुरी एवं अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी 2001 सप्लीमेंटरी एसीसी 957 व मुहम्मद यूनुस बनाम श्रीमती आफाक जहॉ व अन्य 2006 (1) एसीआरआर पेज 112 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने रामबाबू गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य 2001 (43) ए0सी0सी0 50 (इलाहाबाद) व सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007(59) ए0सी0सी0 739 (इलाहाबाद)* में निर्गत दिशानिर्देश के आलोक में प्रार्थिनी को यह अवसर उपलब्ध है कि वह प्रार्थनापत्र में अभिकथित कथनों के जरिये परिवाद की प्रक्रिया द्वारा साबित कर सकता है, अतः प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में पंजीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

(i) एतद्द्वारा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है।

(ii) पत्रावली वास्ते बयान परिवादिनी अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 10.11.2026 को पेश हो। धारा 223 बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षीगण को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस निर्गत हो, प्रार्थिनी अपेक्षित पैरवी अन्दर सप्ताह करे।

(कुमार मयंक)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज
(जे.ओ.कोड यू. पी. 6278)

दिनांक– अगस्त 10, 2026

Digitally signed by KUMAR MAYANK
Date: 2026.08.10 16:23:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court